भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2732
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

बंजारा भाषा को शामिल करना

†2732. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में बंजारा (गोर बोली/लम्बाडी) सहित अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने पर समिति की सिफारिश की जांच की है;

(ख) क्या बंजारा (गोर बोली/लम्बाडी) आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए विचार हेतु चिन्हित की गई भाषाओं में शामिल थी;

(ग) आठवीं अनुसूची में बंजारा (गोर बोली/लम्बाडी) को शामिल करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इनको शामिल किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का कई राज्यों में बंजारा (गोर बोली/लम्बाडी) के व्यापक उपयोग को देखते हुए, इसको शामिल करने के संबंध में निर्णय लेने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): 'बंजारा' (गोर बोली/लम्बाडी) भाषा सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने

के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है। चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।
